अहकाम
हुक्म की
में जारं

न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़।

पीठासीन अधिकारी :– प्रकाश चन्द्र चौधरी

आर.ए.एस

प्रकरण सं0 06/2016

04/2017

अनवानी:–

राजस्थान राज्य

बनाम

अपर जिला मजि
हनुमानगढ़

1 बन्दी सुभाष खीचड़ पुत्र महेन्द्र सिंह जाट सा0 सलेमगढ पु. था. टिब्बी।

दण्डित बन्दी

2 रामसिंह पुत्र श्योनारायण जाति विश्नोई सा. चक 15–16 केडब्ल्युडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

(जमानतदार)

3 कृष्ण लाल पुत्र नारायण राम जाति नायक सा. चक 1 एलजीडब्ल्यु तहसील व जिला हनुमानगढ।

(जमानतदार)

प्रकरण अर्न्तगत धारा 446 सीआरपीसी

उपस्थितः–

1:–अभियोजन अधिकारी ।

2:–श्री अमिताभ सैनी अभिभाषक अप्रार्थी 2 व 3

–निर्णय–

दिनांकः–15.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सुभाष खीचड़ पुत्र महेन्द्र सिंह जाट सा0 सलेमगढ पु. था. टिब्बी को श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 हनुमानगढ द्वारा आदेश क्रमांक 882–86 दिनांक 28.02.17 से 15 दिन का आपात पैरोल अवकाश स्वीकृत किया गया। पेरोल अवकाश स्वीकृति के बाद बन्दी की ओर से अप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा 1,00,000/–1,00,000/– रूपये की जमानतें प्रस्तुत करने पर आदेश क्रमांक 988–92 दिनांक 06.03.17 से पेरोल अवकाश पर जाने के आदेश प्रसारित किये गये।

उपमहानिरीक्षक कारागार राज. जयपुर ने अपने पत्रांक 68710–14 दिनांक 31.3.17 से अवगत कराया कि बन्दी को 15 दिवस आपात पेरोल अवधि समाप्त होने पर बन्दी दिनांक 22.03.2017 को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी सं. 2 व 3 की तलबी की गयी। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक न्यायालय मे उपस्थित आये व अपने जबाब

विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्र 70/17 दर्ज की गयी। केन्द्रीय कारागृह भटिण्डा पंजाब में बन्दी के अन्य प्रकरण में वहां जे.सी. होने की सूचना पर पुलिस थाना बीछवाल द्वारा उसे गिरफतार कर दिनांक 24.5.17 को केन्द्रीय कारागृह बीकानेर में निरूद्ध कर दिया गया। बन्दी के मफरूर होने की सूचना प्रार्थी द्वारा मौखिक रूप से पुलिस थाना टिब्बी व रावतसर को दी थी। इसके अलावा बन्दी के केन्द्रीय कारागृह भटिण्डा में अन्य मुकदमा में जेसी होने की सूचना भी प्रार्थी द्वारा पुलिस थाना बिछवाल को मौखिक रूप से दी गयी थी। प्रार्थी ने बन्दी को गिरफतार कराने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। अतः धारा 446(3) दण्ड प्रकिया संहिता की प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्राप फरमायी जावे।

अप्रार्थी 3 की ओर से प्रस्तुत जबाब में अंकित किया कि पैरोल अवधि के दौरान ही बन्दी के अपनी रिश्तेदारी में मिलने के लिए पंजाब चला गया था जहांव वह अचानक अस्वथ्य हो गया और निश्चित तारीख को पुनः जेल में हाजिर नहीं हो पाया । गैर सायल को जब यह पता चला तो मुझ गैर सायल ने बन्दी की तलाश शुरू की। करीब एक माह पता चला कि बन्दी को पंजाब पुलिस द्वारा किसी मामले में गिरफतार कर लिया गया है। बन्दी वर्तमान में बीकानेर जेल में अपने अपराध की सजा भुगतने के लिए उपस्थित हो गया है और प्रार्थी ने अपने कर्त्तव्य पालन में पूरी मेहनत व दयानतदारी बरती है। जिसके नतीजे बन्दी बीकानेर जेल में है। बन्दी बीमार होने व पंजाब पुलिस द्वारा हिरासत में लिये जाने के कारण निश्चित तिथि को जेल में उपस्थित नहीं हो सका व मुझ अप्रार्थी द्वारा बन्दी को अपनी सजा भुगतने के लिए दोबारा पेश करने में कोई गफलत या लापरवाही नहीं बरती बल्कि उसके बीमारे होने व पंजाब पुलिस द्वारा गिरफतारी की वजह से मजबूर था। जबाब पेश कर बन्दी के पेश होने के तथ्य को सामने रखते हुए नरमी का रूप अपनाते हुए प्रार्थी के खिलाफ कार्यवाही दाखिल दफतर फरमायी जावे।

बहस सुनी गयी। अभियोजन अधिकारी ने अपनी बहस में कथन किया कि बन्दी की जमानत अप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा दी गयी थी । जिनका दायित्व था कि वे बन्दी को पेरोल अवधि समाप्त होने पर संबंधित कारागृह में उपस्थित करवाते परन्तु बन्दी सही समय पर कारागृह में उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए बन्दी के संबंध में अप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा दी गयी जमानत 1,00,000/– ,1,00,000/– रूपये जब्त कर राशि वसूल करने की कार्यवाही की जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने अपनी बहस में जबाब नोटिस में दिये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि बन्दी जानबूझकर पेरोल अवधि समाप्त होने पर संबंधित कारागृह में उपस्थित नहीं हुआ बल्कि उसके साथ उक्त घटना घटित होने के कारण अनुपस्थित रहा। बन्दी दिनांक 24.5.17 को केन्द्रीय कारागृह बीकानेर में उपस्थित हो चुका है। बन्दी उक्त घटना के कारण ही देरी से उपस्थित हुआ है। इसलिए बन्दी के साथ उक्त घटना घटित होने के कारण अप्रार्थी सं. 2 व 3 के विरूद्ध विचाराधीन कार्यवाही समाप्त की जावे।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

बहस पर मनन किया गया। बन्दी को उक्तानुसार 15 दिवस का आपात पेरोल अवकाश स्वीकृत किया गया था परन्तु बन्दी नियत दिनांक 22.03.2017 को संबंधित कारागृह में उपस्थित नहीं होकर दिनांक 24.5.2017 तक फरार रहा व पुनः कारागृह में दिनांक 24.5.17 को उपस्थित हुआ। इस प्रकार बन्दी नियत दिनांक को कारागृह में उपस्थित नहीं होकर फरार रहा है। बन्दी को स्वीकृत पैरोल पर रिहा करने के लिए अप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा जमानत द्वारा प्रस्तुत की गयी थी। जमानतदारों का दायित्व था कि वे बन्दी को नियत दिनांक को संबंधित कारागार में उपस्थित करवाते परन्तु जमानतदारों द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है । धारा 446 सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार जमानतदार द्वारा दी गयी जमानत राशि जब्त की जा सकती है। ऐसी स्थिति में बन्दी के पक्ष में अप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा दी गयी जमानत राशि जब्त की जानी उचित है।

अतः बन्दी की पेरोल अवधि के लिए अप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा दी गयी जमानत 1,00,000/– 1,00,000/ राशि जब्त की जाती है। जमानत राशि वसूल करने हेतु प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखा शाखा कलक्ट्रेट हनुमानगढ को निर्णय की एक प्रति जमानत राशि वसूल करने बाबत व प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलक्ट्रेट हनुमानगढ व अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह बीकानेर को निर्णय की प्रति सूचनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

दि- 06/2/18
प्रकरण के निर्णय में प्रथम पृष्ठ पर प्र.सं. 06/2016 अंकित हो गया/ आदेश दि० 06/2/18 के अनुसार प्रकरण संख्या 06/2016 के स्थान पर प्रकरण क्र. 04/2016 पढ़ा जावे

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़